



UPFD010132152016

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, पोक्सो
न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद।

उपस्थित: अवधेश कुमार सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

पी०एस०टी संख्या-5721 सन 2016

CNR NO.UPFD01-013215-2016

उत्तर प्रदेश राज्य

-----अभियोजक।

बनाम

1-विनोद कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र निवासी नगला पीपल, थाना जसराना, जिला
फिरोजाबाद।

2-ग्रीश चन्द्र पुत्र हरीशंकर, निवासी ग्राम निवैरा, थाना बरनाहल, जिला मैनपुरी।
..... अभियुक्तगण

अपराध संख्या-665/2016,
धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व
धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम
थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद।

निर्णय

1- यह पुलिस चालानी केस पुलिस थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं०-665/2016 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा०द०सं० व 3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर विचारण हेतु संस्थित किया गया है।

2- भा०द०वि० की धारा 228 क में दिये गये विधिक उपबन्ध के आधार पर इस मामले में पीड़िता के नाम का उल्लेख करना समीचीन नहीं है और उसे निर्णय में पीड़िता शब्द से ही निर्दिष्ट किया जा रहा है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी ने अपनी पुत्री पीड़िता उम्र 17 वर्ष को अपनी ससुराल गांव बझेरा (मन्दिर मोहल्ला) चौकी अरांव, थाना सिरसागंज में अपने साले रामौतार, बृजेश के घर पर दिनांक 28-08-2016 को छोड़ आया था तभी से उसकी पुत्री पीड़िता वहीं पर रह रही थी। दिनांक 03-09-2016 को रात के 9.00 बजे उसकी पुत्री पीड़िता शौच के लिए गयी थी तभी अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीशचन्द्र मोटरसाइकिल से

आये और उसकी लड़की पीड़िता का खेत से जबरन अपहरण कर ले गये। उसकी पुत्री का अपहरण कराने में प्रकाश चन्द्र, खेतपाल का पूरा सहयोग है। वादी की लड़की पीड़िता ने अपने मोबाइल नम्बर-7248840313 से वादी के मोबाइल नम्बर-9758392847 पर फोन किया कि उसे उपरोक्त अभियुक्तगण जबरन उठाकर ले आये हैं। उसे उनके चंगुल से बचा लो नहीं तो मार देंगे। अभियुक्तगण उसकी पुत्री के साथ आज भी रह रहे हैं। इससे पहले भी उपरोक्त मुल्जिमान पीड़िता को पकड़ कर ले गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना जसराना पर मुकदमा अपराध संख्या-336/2016 धारा-363, 366 भा०द०सं० पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना पुलिस ने गलत तरीके से समाप्त कर दिया। वादी की पुत्री का मुल्जिमान ने रंजिशन दुबारा अपहरण कर लिया है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

4- वादी द्वारा प्रस्तुत टाइपशुदा तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या-665/2016 अन्तर्गत धारा 363,366,120B भा० द०सं० व 7/8 पोक्सो अधिनियम कायम किया गया और उसका इन्द्राज जी०डी० में किया गया।

5- विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया तथा गवाहान के बयान अंकित किये। बाद विवेचना विवेचक ने अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीशचन्द्र के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363,366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम का आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

6- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-8 फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 27-07-2017 को अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 363,366, 376 व पोक्सो अधिनियम धारा 3/4 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

7- अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए पी०डब्लू०-1 रामऔतार, पी०डब्लू०-2 पीड़िता , पी०डब्लू०-3 सेवा निवृत्त डा० नसीम अहमद, पी०डब्लू०-4 डा० नीता कुलश्रेष्ठ, पी०डब्लू०-5 आरक्षी ओमवीर सिंह, पी०डब्लू०-6 डा० साधना राठौर, पी०डब्लू०-7 सेवा निवृत्त उपनिरीक्षक रामबाबू सिंह को परीक्षित कराया गया है।

8- अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने आरोप को गलत लगाना कहा है। पी०डब्लू०-1 ने गलत बयान दिया है तथा गलत प्रपत्र साबित किया है। पी०डब्लू०-2 ने पूर्व में बयान परिवार वालों व लोगों के दबाव में दिया है , परन्तु बाद में सही बयान

दिया है। पी०डब्लू०-3 के बयान की बाबत कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू०-4 के बयान की बाबत कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू०-5 ने गलत बयान देकर गलत प्रपत्र साबित किये हैं। पी०डब्लू०-6 के बयान की बाबत कुछ नहीं कहना है एवं पी०डब्लू०-7 ने गलत बयान देकर गलत प्रपत्र साबित किये हैं। गवाहान रंजिशन गवाही दे रहे हैं। मुकदमा गलत चलना कहा है। अभियुक्तगण ने अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया है तथा अतिरिक्त कथन में यह कहा है कि वे निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

9- विशेष लोक अभियोजक के प्रार्थनापत्र दिनांकित 18-11-2023 पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18-11-2023 के माध्यम से पूर्व में विरचित आरोप में संशोधन करते हुए 376 भा०दं०सं० के स्थान पर धारा-376D भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के स्थान पर धारा-5/6 पोक्सो अधिनियम का संशोधित आरोप विरचित किया गया।

10- बाद आरोप संशोधन बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्तगण को संशोधित आरोप में पुनः साक्ष्य का अवसर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा कथन किया गया कि पूर्व में अंकित साक्ष्य पर ही वाद का निस्तारण कर दिया जाये। मुझे अन्य कोई जिरह नहीं करनी है और न ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य देना है।

11- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा रामऔतार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-साक्षी ने अपनी पुत्री पीड़िता उम्र 17 वर्ष को अपनी ससुराल गांव बहेरा अपने साले रामौतार, बृजेश के घर पर दिनांक 28-08-2016 को छोड़ आया था तभी से उसकी पुत्री पीड़िता वहीं पर रह रही थी। दिनांक 03-09-2016 को रात के 9.00 बजे उसकी पुत्री पीड़िता अपने मामा के घर से शौच के लिए गयी थी तभी पहले से घात लगाये बैठे विनोद कुमार व ग्रीशचन्द्र मोटरसाइकिल से आये और उसकी लड़की पीड़िता का खेत से जबरन अपहरण कर ले गये। उसकी पुत्री का अपहरण कराने में प्रकाश चन्द्र, खेतपाल का पूरा सहयोग है। उसकी लड़की पीड़िता ने अपने मोबाइल नम्बर-7248840313 से वादी के मोबाइल नम्बर-9758392847 पर फोन किया कि उसे उपरोक्त अभियुक्तगण जबरन उठाकर ले आये हैं। उसे उनके चंगुल से बचा लो नहीं तो मार देंगे। विनोद व ग्रीश उसकी पुत्री के साथ रह रहे थे। इससे पहले भी यह लोग उसकी पुत्री पीड़िता को पकड़ कर ले गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना जसराना पर मुकदमा अपराध संख्या-335/2016 धारा-363, 366 भा०दं०सं० पंजीकृत कराया था जिसे पुलिस ने समाप्त कर दिया। वादी की पुत्री का मुल्जिमान ने रंजिशन दुबारा अपहरण किया है। उसकी बेटा को उपरोक्त लोग मार डालेंगे। काफी तलाश के बाद तथा थाने पर कई चक्कर लगाने के बाद दरोगाजी ने दिनांक 14-09-2016 को मुकदमा लिखा था। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या-3A/3

तहरीर उसने बोल बोल कर टाइप करायी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह अपने दस्तखत की शिनाख्त करता है। उस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। उसके बाद उसकी पुत्री को पुलिस ने बरामद किया था और दिनांक 29-09-2016 को पुलिस ने उसकी पुत्री पीडिता को न्यायालय के आदेश से उसे सुपुर्द किया था। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या-7 अ/2 सुपुर्दगीनामा पर उसके व उसके रिश्तेदार पीतम सिंह व अजय कुमार के हस्ताक्षर हैं तथा उसकी पत्नी का अंगूठा लगा था। उस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। उसकी पुत्री पीडिता ने उसे बताया था कि विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र ने प्रकाश व खेतपाल के सहयोग से जबरदस्ती अपहरण कर ले गये थे। विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र ने उसके साथ गलत काम किया था। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

12- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 पीडिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि-दिनांक 03-09-2016 को राते के 9.00 बजे वह लैट्रिन करने के लिए खेतों की तरफ गयी थी। वहाँ पर दो मोटरसाइकिल खड़ी थी। विनोद, ग्रीश, प्रकाश व खेतपाल जो मोटरसाइकिल के पास खड़े थे। इन लोगों ने उसे खींच लिया और उसे डराते हुए तमंचा दिखाया तथा उसे चिल्लाने नहीं दिया एवं उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। थोड़ी दूरी पर चारपहिया गाड़ी खड़ी थी। विनोद, प्रकाश, ग्रीश व खेतपाल ने उसे जबरन चार पहिया गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद प्रकाश व खेतपाल वहाँ से चले गये। विनोद व ग्रीश उसे गाड़ी से निवेहरा ले गये जो सिरसागंज से दूर है। गाड़ी से उसे ग्रीश के घर की तरफ ले गये। विनोद व ग्रीश ने रात में ही जबरन उसके साथ गलत काम किया। यह दोनों लोग दारू पिये हुए थे। इन लोगों ने तीन दिन उसे वहीं रखा और उसके साथ जबरन बुरा काम करते रहे। फिर उसे दिल्ली ले गये। उसे वहाँ विनोद के मामा के घर ले गये। दिल्ली में उसे एक कमरे में 14 दिन रखा। वहाँ भी उसके साथ विनोद व ग्रीश ने जबरन बारी-बारी से बलात्कार करते रहे। उसके बाद प्रकाश व खेतपाल निवेहरा वापस ले आये। बीच में ही पुलिस ने उसे तथा विनोद को पकड़ लिया एवं ग्रीश भाग गया। पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में उसका बयान लिया था तथा उसका डाक्टरी परीक्षण कराया था। पुलिस जब उसे अदालत लेकर आयी थी, तब उसका धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान हुआ था। न्यायालय की अनुमति से एक सीलबन्द लिफाफा खोला गया तथा उसमें से निकले बयान धारा-164 दं०प्र०सं० पर लगे फोटो व अपने हस्ताक्षर की साक्षिया ने शिनाख्त की है। उस पर प्रदर्श क-3 डाला गया तथा लिफाफे पर वस्तु प्रदर्श-1 व वस्तु प्रदर्श-2 डाले गये।

इस साक्षिया द्वारा अपने धारा-164 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 03-09-2016 को लैट्रिन करने गयी थी। वहाँ दो मोटरसाइकिल खड़ी थी। विनोद और ग्रीश और प्रकाश तथा खेतपाल ये लोग गाड़ी पर थे। इन लोगों ने उसे खींच लिया और मुंह बन्द करके तमंचा

दिखाया। उसे चिल्लाने नहीं दिया। उन्होंने उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। थोड़ी दूर पर चार पहिया गाड़ी थी। उसमें उसे बैठा दिया। प्रकाश व खेतपाल वहाँ से चले गये। विनोद व गिरीश उसे गाड़ी से निवेहरा सिरसागंज की तरफ गिरीश के घर पर ले गये। विनोद व गिरीश ने रात में ही उसके साथ जबरन गलत काम किया। ये दोनों दारू पिये थे। तीन दिन उसे इन लोगों ने वहाँ रखा। इस दौरान उसके साथ गलत काम करते रहे फिर उसे दिल्ली ले गये। दिल्ली में विनोद के मामा का घर है। दिल्ली में किसी कमरे में उसे रखा। 14 दिन उसे वहाँ रखा। वहाँ पर ये दोनों उसके साथ बलात्कार बार बार करते थे। वहाँ से प्रकाश व खेतपाल उसे निवेहरा से वापस ले आये थे। वहाँ से पुलिस ले आयी। वह मम्मी पापा के पास जाना चाहती है।

13- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-3 सेवा निवृत्त डा० नसीम अहमद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-वह दिनांक 26-09-2016 को सीनियर कन्सल्टेन्ट रेडियोलॉजिस्ट के पद पर जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में तैनात था। उस दिन साक्षी ने उक्त प्रकरण की पीड़िता की एक्सरे रिपोर्ट अपने हस्तलेख में तैयार की थी। पीड़िता को महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद द्वारा भेजा गया था। रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

एक्सरे एल्वो, एक्सरे घुटना, एक्सरे कलाई, एक्सरे कूल्हे की हड्डी- इन सभी की एफ़ीफ़ाइसिस जुड़ी हुई थी।

एक्सरे हसली की हड्डी का-इसकी एफ़ीफ़ाइसिस जुड़ी हुई नहीं थी। पीड़िता की रिपोर्ट साक्षी द्वारा अपने हस्तलेख में लिखी गयी है। उस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं तथा पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है जो पत्रावली पर कागज संख्या-8 अ/3 है। उस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। पत्रावली पर पीड़िता की एक्सरे प्लेट मौजूद है। उन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श-3, वस्तु प्रदर्श-4 व वस्तु प्रदर्श-5 डाले गये। उसी दिन सी०एम०ओ० की अध्यक्षता वाले बोर्ड में साक्षी भी एक सदस्य था। आयु प्रमाणपत्र पर पीड़िता की एक्सरे रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी साक्षी शिनाख्त करता है। आयु प्रमाणपत्र पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। बोर्ड द्वारा पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष निर्धारित की गयी थी। आयु प्रमाणपत्र पत्रावली पर कागज संख्या-8 अ/14 है। उस पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

14- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-4 डा० नीता कुलश्रेष्ठ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 25-09-2016 को यह साक्षिया डी०डब्लू०एच० फिरोजाबाद में वरिष्ठ परामर्श दाता के पद पर तैनात थी। उस दिन उसने उक्त प्रकरण की पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था। पीड़िता को महिला आरक्षी स्मिता द्वारा लाया गया था। पीड़िता का पहचान चिन्ह एक काला तिल नाक के उल्टी तरफ था।

सामान्य परीक्षण-पीड़िता के बताये अनुसार वह अपनी मर्जी से विनोद नामक

व्यक्ति के साथ दिनांक 09-04-2016 को दिल्ली गयी थी तथा परीक्षण से एक दिन पहले दिल्ली से लौटी थी। पीड़िता के बताये अनुसार पीड़िता की माहवारी की आखिरी तारीख 10-09-2016 थी। शरीर पर कोई चोट का निशान बाहर तरफ नहीं था। पीड़िता पूर्ण चेतन अवस्था में थी। पीड़िता की हाइट 5 फीट 1 इंच था तथा वजन 42 के०जी० था। पीड़िता के बगल व गुप्तांग के पास बाल उपस्थित थे। पीड़िता के स्तन पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। **पीड़िता अपने कपड़े बदल चुकी थी।** पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया।

आन्तरिक परीक्षण-पीड़िता के गुप्तांग के आस-पास कोई चोट का निशान नहीं था। झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। यौनि द्वार से कोई रक्तस्राव व डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। वैजाइनल स्मीअर स्लाइड बनाकर शुक्राणु की जांच हेतु भेजी गयी थी। राय-शुक्राणु जांच हेतु वैजाइनल स्मीअर स्लाइड पैथालाजिस्ट के पास भेजी गयी। बच्चेदानी की स्थिति के लिए अल्ट्रासाउण्ड की सलाह दी गयी। उम्र निर्धारण हेतु सी०एम०ओ० को रेफर किया गया था। पीड़िता के आन्तरिक व वाह्य परीक्षण रिपोर्ट जो पत्रावली पर कागज संख्या-8 अ/3 लगायत 8 अ/8 है जो साक्षिया के लेख व हस्ताक्षर में है। उस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। पीड़िता की पूरक रिपोर्ट साक्षी के द्वारा दिनांक 26-09-2016 को तैयार की गयी थी। पीड़िता की अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट नार्मल स्कैल थी। पीड़िता की वैजाइनल स्मीअर स्लाइड रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाये गये थे।

पीड़िता के बाहरी शरीर व गुप्तांग पर कोई चोट रिपोर्ट के अनुसार नहीं पायी गयी तथा पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता से बलात्कार की पुष्टि नहीं की जा सकती। पूरक रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या-8 अ/9 लगायत 8 अ/10 है जो साक्षिया के लेख व हस्ताक्षर में है। उस पर प्रदर्श क-7 डाला गया।

15- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-5 आरक्षी ओमवीर सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 14-09-2016 को वह थाना सिरसागंज में बतौर आरक्षी/लिपिक तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा रामऔतार एक टाइपशुदा तहरीर लेकर थाना कार्यालय पर आया था। वादी की तहरीर व एस०ओ० साहब के लिखित आदेश **एच०एम०/सी०सी० सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें,** के आधार पर उसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-665/2016 धारा-363, 366, 120B भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम विनोद कुमार आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया था जिसकी चिक एफ०आई.आर० समय 19.00 बजे साक्षी के द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप की गयी थी। जो पत्रावली पर कागज संख्या-3 अ/1 लगायत 3 अ/3 है जिस पर एस०ओ० साहब के हस्ताक्षर हैं तथा थाने की मोहर लगी है। उस पर प्रदर्श क-8 डाला गया। उक्त मुकदमें का खुलासा

जी०डी० नम्बर-43 में समय 19.00 बजे उसी दिनांक को को किया गया था जो पत्रखवली पर कागज संख्या-13 ब/30 है। उस पर प्रदर्श क-9 डाला गया।

16- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-6 डा० साधना राठौर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 26-09-2016 को यह साक्षिया जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात थी। उस दिन उसने उक्त प्रकरण की पीड़िता का अल्ट्रासाउन्ड किया था जिसे डा० नीता कुलश्रेष्ठ द्वारा भेजा गया था। पहचान चिन्ह पीड़िता के एक काला तिल नाक से एक सेमी० बांयी तरफ मौजूद था। अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट MLPC नम्बर-433/16 दिनांक 26-09-2016 में बच्चेदानी सामान्य पायी गयी। अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या-8 अ/2 है जो साक्षिया के लेख व हस्ताक्षर में है। उस पर प्रदर्श क-10 डाला गया। अल्ट्रासाउन्ड फिल्म पत्रावली पर कागज संख्या-8 अ/1 है। उस पर वस्तु प्रदर्श-1 डाला गया।

17- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-7 सेवा निवृत्त उपनिरीक्षक रामबाबू सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 03-09-2016 को यह साक्षी बतौर उपनिरीक्षक चौकी अरांव थाना सिरसागंज में तैनात था। उस दिन उसे मुकदमा अपराध संख्या-665/2016 धारा-363, 366, 120B भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम विनोद कुमार आदि की विवेचना सुपुर्द की गयी थी। दौरान विवेचना साक्षी ने नकल तहरीर, नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक ओमवीर अंकित किये गये। वादी रामऔतार व गवाह बृजेश के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी अपने हस्तलेख में तैयार किया जो पत्रावली पर कागज संख्या-5 अ है। उस पर प्रदर्श क-11 डाला गया। वादी द्वारा पीड़िता का हाईस्कूल अंकपत्र साक्षी को दिया गया जिसके अनुसार पीड़िता की उम्र 17 वर्ष, 1 माह, 12 दिन होती है। हाईस्कूल की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल है। उस पर प्रदर्श क-12 डाला गया। पीड़िता को लाकर थाने में दाखिल किया तथा महिला आरक्षी को साथ लेकर पीड़िता का मेडिकल कराने सी०एच०सी० सिरसागंज आया तथा पीड़िता का मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट संलग्न सी०डी० किया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र 18 वर्ष पायी गयी। पीड़िता का धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान न्यायालय में अंकित कराया गया जिसमें पीड़िता ने अपने साथ विनोद व ग्रीश के द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि की है। धारा-376 भा०दं०सं० की वृद्धि की गयी। न्यायालय से पीड़िता की सुपुर्दगी निर्धारित किये जाने हेतु आग्रह किया गया। न्यायालय द्वारा पीड़िता को उसके पिता की सुपुर्दगी में देने का आदेश किया गया तथा पीड़िता को उसके पिता को सुपुर्द किया गया। शपथपत्र देने

वाले रामसेवक, गोविन्द, ईश्वरपाल, नेत्रपाल, किशन गोपाल व सोनपाल के बयान अंकित किये। विवेचना से प्रकाश चन्द्र व खेतपाल की नामजदगी झूठी पायी गयी। प्रकाश चन्द्र व खेतपाल के बयान घर पर अंकित किये गये। धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के स्थान पर धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम पाया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० का अपराध पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जो पत्रावली पर कागज संख्या-4 अ/1 लगायत 4 अ/4 है। उस पर प्रदर्श क-13 डाला गया।

18- मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

19- अभियोजन की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीड़िता उम्र 17 वर्ष को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता में से अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय से व्यपहरण किया तथा अन्यत्र स्थान पर लेकर प्रवेशन लैंगिक हमला कर उसके साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया, जिसे अभियोजन साक्षियों द्वारा पूर्णतया साबित किया गया है, इसलिए अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

20- अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा न तो वादी की अवयस्क पुत्री पीड़िता का अपहरण किया गया और न ही उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कर बलात्कार किया गया। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अभियोजन द्वारा कथित अपराध को साबित नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा उनके बयानों में पर्याप्त भिन्नता है। इस प्रकार अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

21- **प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी अथवा नहीं?**

पीड़िता की उम्र के निर्धारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2013) 7 SCC 262** में यह अवधारित किया है कि अपहरण एवं बलात्कार आदि के मामलों में भी पीड़िता/अभियोक्त्री की उम्र का निर्धारण भी 2007 जुवेनाइल जस्टिस नियम-12 के अनुरूप ही विनिश्चय किया जाना चाहिए। इसी प्रकार नये जुवेनायल जस्टिस अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2015 की धारा 94 के अनुसार पीड़िता की उम्र का निर्धारण किया जायेगा। माननीय **पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गजब सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2019 (2)**

R.C.R.(cri.) 631 में यह स्थापित किया गया कि किशोर न्याय अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के आधार पर ही पीड़िता की उम्र का निर्धारण किया जायेगा।

22- इस सम्बन्ध में जहाँ तक तहरीर का प्रश्न है तो तहरीर में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष लिखी गयी है। वादी की ओर से पीड़िता की उम्र की बाबत अभिलेखीय प्रपत्र के रूप में हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2014 के अंकपत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 21-07-1999 अंकित है। उक्त प्रपत्र मात्र छायाप्रति है, उसे अभियोजन द्वारा किसी साक्षी से साबित नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में उक्त प्रपत्र का इस स्तर पर कोई महत्व नहीं रह जाता है। धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यदि किसी विशिष्ट तथ्य का ज्ञान किसी व्यक्ति को है तो वह तथ्य उसी व्यक्ति द्वारा साबित किया जायेगा जिसके ज्ञान में वह तथ्य है। पीड़िता की उम्र की बाबत दाखिल शैक्षिक प्रपत्र जो की छायाप्रति है, वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

23- पीड़िता की उम्र की बाबत मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसकी चिकित्सीय आख्या दिनांक-26-09-2016 में पीड़िता की उम्र मेडिकल बोर्ड की आख्या अनुसार लगभग 18 वर्ष अंकित की गयी है। उक्त चिकित्सीय आख्या को साक्षी पी०डब्लू०-3 द्वारा प्रदर्शक-5 के रूप में साबित किया गया है।

24- इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था सिविल अपील संख्या-4532 सन 2018 सुहानी तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2018 में दी गयी विधि व्यवस्था के अनुसार चिकित्सीय आख्या में दर्शित आयु पर विश्वास किया जाना न्यायसंगत है। अतः चिकित्सीय आख्या में दर्शित आयु के आधार पर पीड़िता घटना के दिनांक को 18 वर्ष से अधिक की थी और अवयस्क की श्रेणी न आकर वह वयस्क की श्रेणी में आती है।

25- अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय से व्यपहरण किया गया तथा पीड़िता को अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया ?

26- इस सम्बन्ध में जहाँ तक तहरीर का प्रश्न है तो तहरीर के अनुसार वादी ने अपनी पुत्री पीड़िता को अपनी ससुराल गांव बझेरा (मन्दिर मोहल्ला) चौकी अरांव, थाना सिरसागंज में अपने साले रामौतार, बृजेश के घर पर दिनांक 28-08-2016 को छोड़ आया था तभी से उसकी पुत्री पीड़िता वहीं पर रह रही थी। दिनांक 03-09-2016 को रात के 9.00 बजे उसकी पुत्री पीड़िता शौच के लिए गयी थी तभी अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीशचन्द्र मोटरसाइकिल से आये और उसकी लड़की पीड़िता का खेत से जबरन अपहरण

कर ले गये। उसकी पुत्री का अपहरण कराने में प्रकाश चन्द्र, खेतपाल का पूरा सहयोग है। वादी की लड़की पीड़िता ने अपने मोबाइल नम्बर-7248840313 से वादी के मोबाइल नम्बर-9758392847 पर फोन किया कि उसे उपरोक्त अभियुक्तगण जबरन उठाकर ले आये हैं। उसे उनके चंगुल से बचा लो नहीं तो मार देंगे। अभियुक्तगण उसकी पुत्री के साथ आज भी रह रहे हैं। इससे पहले भी उपरोक्त मुल्जिमान पीड़िता को पकड़ कर ले गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना जसराना पर मुकदमा अपराध संख्या-336/2016 धारा-363, 366 भा०दं०सं० पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना पुलिस ने गलत तरीके से समाप्त कर दिया। वादी की पुत्री का मुल्जिमान ने रंजिशन दुबारा अपहरण कर लिया है।

27- इस सम्बन्ध में जहाँ तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो साक्षी पी०डब्लू०-1 रामऔतार जो कि वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर को प्रदर्श क-1 व सुपुर्दगीनामा को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है तथा यह अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि दिनांक 03-09-2016 को रात के 9.00 बजे उसकी पुत्री पीड़िता अपने मामा के घर से शौच के लिए गयी थी तभी पहले से घात लगाये विनोद कुमार व ग्रीशचन्द्र मोटरसाइकिल से आये और उसकी लड़की पीड़िता का खेत से जबरन अपहरण कर ले गये। उसकी पुत्री का अपहरण कराने में प्रकाश चन्द्र, खेतपाल का पूरा सहयोग है। उसकी लड़की पीड़िता ने अपने मोबाइल नम्बर-7248840313 से वादी के मोबाइल नम्बर-9758392847 पर फोन किया कि उसे उपरोक्त अभियुक्तगण जबरन उठाकर ले आये हैं। उसे उनके चंगुल से बचा लो नहीं तो मार देंगे। इससे पहले भी यह लोग उसकी पुत्री पीड़िता को पकड़ कर ले गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना जसराना पर मुकदमा अपराध संख्या-335/2016 धारा-363, 366 भा०दं०सं० पंजीकृत कराया था जिसे पुलिस ने समाप्त कर दिया। अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कथन किया है कि इस घटना से पहले उसने अपनी बेटी पीड़िता को ले जाने के सम्बन्ध में एक मुकदमा लिखाया था। यह मुकदमा थाना जसराना में दर्ज कराया था। यह मुकदमा ग्रीश चन्द्र व विनोद कुमार के विरुद्ध लिखाया था।

28- इस प्रकार उपरोक्त साक्षी जो कि इस मुकदमें का वादी है, ने अपने साक्ष्य से तहरीर के कथनों को बखूबी साबित किया है। अतः इस साक्षी के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

29- इस सम्बन्ध में पीड़िता का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वही घटना की भुक्तभोगिनी है। साक्षी पी०डब्लू०-2 पीड़िता ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया है तथा लिफाफे को वस्तु प्रदर्श-1 व वस्तु प्रदर्श-2 के रूप में साबित किया है एवं अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि विनोद व ग्रीश उसे गाड़ी से निवेहरा ले गये

जो सिरसागंज से दूर है। गाड़ी से उसे ग्रीश के घर की तरफ ले गये। विनोद व ग्रीश ने रात में ही जबरन उसके साथ गलत काम किया। यह दोनों लोग दारू पिये हुए थे। इन लोगों ने तीन दिन उसे वहीं रखा और उसके साथ जबरन बुरा काम करते रहे। फिर उसे दिल्ली ले गये। उसे वहाँ विनोद के मामा के घर ले गये। दिल्ली में उसे एक कमरे में 14 दिन रखा। वहाँ भी उसके साथ विनोद व ग्रीश जबरन बारी-बारी से बलात्कार करते रहे। अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षिया ने कथन किया है कि वह दिनांक 28-08-2016 को अपने ननिहाल गयी थी। उसे उसके पापा छोड़कर आये थे। उसे मुल्जिमान परेशान करते थे और धमकी देते थे, इसलिए पापा उसे छोड़ आये थे। उसके पापा ने इस मुकदमें से पहले भी एक मुकदमा विनोद कुमार, ग्रीश व प्रकाश चन्द्र के खिलाफ लिखाया था। आगे साक्षिया ने कथन किया है कि दिनांक 28-07-2016 को मुल्जिमान में से प्रकाश व खेतपाल उसे लेकर थाने पहुँचे थे। उसका मजिस्ट्रेट साहब ने इस केस में बयान लिया था। उसने डाक्टर को अपनी उम्र 19 वर्ष नहीं बताया था। डाक्टर ने अगर लिख दी हो तो वह अपनी मर्जी से लिख दिया होगा। उससे मजिस्ट्रेट साहब ने भी उम्र नहीं पूछी थी। उसे धमकी दी थी, इसलिए उसने पुलिस को यह बात बतायी थी कि वह अपने गांव के विनोद के साथ अपनी मर्जी से दिल्ली गयी थी। विनोद ने उसके साथ गलत काम किया था लेकिन विनोद व प्रकाश ने धमकी दी थी, इसलिए उसने पुलिस को यह बताया था कि विनोद ने उसके साथ गलत काम नहीं किया है। आगे कथन किया कि उसने डाक्टर को यह नहीं बताया कि वह अपनी मर्जी से दिनांक 04-09-2016 को विनोद के साथ दिल्ली गयी थी और कल वापस आयी हैं। डाक्टर ने अगर यह बात लिखी है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकती। जिस मोटरसाइकिल पर उसे बैठाया था, उसे ग्रीश चला रहा था और विनोद उसके पीछे बैठा था। वह एक ही तरफ दोनों पैर करके बैठे होंगे जैसे लेडीज पैर करके बैठती हैं। चार पहिया में उसके और ड्राइवर सहित कुल चार लोग थे। उसे मोटरसाइकिल पर बैठाते समय भी चार लोग थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान उसे जबरदस्ती न ले गये हों। यह कहना भी गलत है कि दोनों बार अपने घर से स्वयं कहीं चली गयी हो। यह कहना भी गलत है कि दोनों बार उसके पिता जी ने पैसा ऐठने के लिए मुकदमा लिखा दिया हो। यह कहना भी गलत है कि उसके साथ मुल्जिमानों ने गलत काम न किया हो।

30- धारा-311 दं०प्र०सं० पर पारित आदेश दिनांकित 18-05-2023 के अनुपालन में साक्षिया को प्रतिपरीक्षा हेतु पुनः तलब किया गया जिसमें साक्षिया ने कथन किया है कि घटना के बाद उसका मेडिकल कराया गया। डाक्टर ने उससे घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की थी। डाक्टर साहब ने पूछताछ के बाद लिखा पढ़ी करके उसका अंगूठा निशानी लगवाया था। उसके साथ उसके पिता रामौतार भी थे। डाक्टर साहब ने पिता जी का भी अंगूठा

निशानी लगवाया था। आगे यह कथन किया है कि उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी बयान दिया था तब उसे पुलिस लेकर आयी थी। उसके माता पिता भी उसके साथ आये थे। तब उसने मजिस्ट्रेट साहब को बताया था कि दिनांक 03-09-2016 को वह रात के 9.00 बजे लैट्रिन गयी थी तब उसे विनोद, ग्रीश, प्रकाश व खेतपाल ने जबरन खींच लिया था और तमंचा दिखाते हुए उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया था और थोड़ी दूर चलने पर चार पहिया गाड़ी में बैठा दिया था। विनोद व ग्रीश ने उसे निवेहरा सिरसागंज की ओर ले गये थे वहाँ ग्रीश उसे निवेहरा सिरसागंज की ओर ग्रीश के घर ले गये थे। वहाँ विनोद व ग्रीश ने उसके साथ गलत काम किया था। आगे साक्षिया ने कथन किया है कि टीकमपुरा में वह विनोद के साथ रह रही है। विनोद के साथ वह अपनी मर्जी से रह रही है। उसने विनोद से शादी नहीं की है। विनोद के साथ वह पत्नी बनकर रह रही है। विनोद की पहली पत्नी है। विनोद के साथ वह तीन-चार साल से रह रही है। उसकी शादी सन् 2016 में आकाश के साथ हुई थी। आकाश उसके साथ 5-6 महीने रहे थे। फिर वह उसे छोड़कर आ गये तब से आज तक कोई पता नहीं, न कोई फोन आता है। दिनांक 27-06-2019 को उसके बयान में पति का नाम पूछा नहीं, इसलिए उसने नहीं बताया। जब वह दिनांक 27-06-2019 को बयान देने आयी थी, तब वह विनोद के साथ रह रही थी फिर कहा कि वह पिता के घर रह रही थी। इस समय उसके पास एक बच्ची है जो दो साल की है। पलक विनोद से पैदा है। जन्म के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं है जिसमें विनोद का नाम लिखा हो। उसे अस्पताल का नाम मालूम नहीं है, जिसमें पलक पैदा हुई थी। उसने विनोद के साथ कोर्ट मैरिज नहीं की है। शादी की कोई लिखा पढ़ी नहीं की है। उसने शादी नहीं की है वह विनोद के साथ ऐसी ही रह रही है।

31- बयान धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में साक्षिया द्वारा यह कथन किया गया कि वह दिनांक 03-09-2016 को लैट्रिन करने गयी थी। वहाँ दो मोटरसाइकिल खड़ी थी। विनोद और ग्रीश और प्रकाश तथा खेतपाल ये लोग गाड़ी पर थे। इन लोगों ने उसे खींच लिया और मुंह बन्द करके तमंचा दिखाया। उसे चिल्लाने नहीं दिया। उन्होंने उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। थोड़ी दूर पर चार पहिया गाड़ी थी। उसमें उसे बैठा दिया। प्रकाश व खेतपाल वहाँ से चले गये। विनोद व गिरीश उसे गाड़ी से निवेहरा सिरसागंज की तरफ गिरीश के घर पर ले गये। विनोद व गिरीश ने रात में ही उसके साथ जबरन गलत काम किया। ये दोनों दारू पिये थे। तीन दिन उसे इन लोगों ने वहाँ रखा। इस दौरान उसके साथ गलत काम करते रहे फिर उसे दिल्ली ले गये। दिल्ली में विनोद के मामा का घर है। दिल्ली में किसी कमरे में उसे रखा। 14 दिन उसे वहाँ रखा। वहाँ पर ये दोनों उसके साथ बलात्कार बार बार करते थे।

32- इस प्रकार यदि पीड़िता के पूर्व में दिये गये बयानों पर विचार किया

जाये तो उसके द्वारा घटना कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है तथा उसके बयानों की पुष्टि धारा-164 दं०प्र०सं० कथनों में जो मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये हैं से भी पूर्णतया होती है। इतना ही नहीं यह वही विनोद है, जिसने इस घटना के पूर्व भी इसी पीड़िता को बहला फुसलाकर एक बार और ले गया था और विनोद के इस कृत्य से परेशान होकर पीड़िता के पिता ने पीड़िता को अपने यहाँ से हटाकर उसकी ननिहाल में छोड़ आया था, जिससे की वह अपनी पुत्री को विनोद से बचा सके परन्तु तथाकथित अभियुक्त विनोद द्वारा पुनः पीड़िता की ननिहाल जाकर ग्रीश के साथ मिलकर पहले जैसा ही अपराध कारित किया गया है। पीड़िता ने अपने बयानों में मुख्य परीक्षा में ही नहीं, अपितु प्रतिपरीक्षा में भी घटना कथानक का समर्थन किया है। जब पीड़िता को विनोद अपने पास उसके माँ बाप के घर से ले जाने में कामयाब हो गया और उसे बतौर पत्नी रख लिया तब पीड़िता विनोद के प्रभाव में आकर घटना कथानक को नकार रही है जिससे घटना कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि **किसी भी साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य का ऑकलन करने के उपरान्त भूसे के ढेर से गेहूँ को अलग करने की तरह साक्ष्य की समीक्षा की जानी चाहिए तथा न्यायालय को ऐसे साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य एवं घटना कथानक के तथ्य, परिस्थितियों पर गम्भीर मन्थन करने के उपरान्त साक्ष्य के सार को ग्रहण करना चाहिए।** प्रश्नगत मामले में भी पीड़िता ने धारा-164 दं०प्र०सं० तथा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने कथनों में न केवल मुख्य परीक्षा, बल्कि प्रतिपरीक्षा में भी घटना कथानक का समर्थन किया है। बाद में अभियुक्त के प्रभाव में आने के कारण धारा -311 दं०प्र०सं० में स्वीकृत प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत अपने पूर्व में दिये गये बयानों को नकारने का भ्रामक प्रयास किया है, परन्तु अपने मकसद में पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सकी है और उसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जायेगा। अभियुक्त ने न केवल एक बार बल्कि दो बार पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ उसकी बिना इच्छा के बलात्कार किया, क्योंकि उसको ले जाते समय तमंचे का भय दिखाकर न केवल ले जाया गया बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया गया। यदि वह अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अभियुक्त के साथ गयी होती तो न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगी के समय अपने माँ बाप के पास जाने का विरोध करती। बाद में जब अभियुक्त उसे फिर बहला फुसलाकर माँ बाप के घर से अपने यहाँ ले जाने में कामयाब हो गया तब उसने अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करके अपने पक्ष में न्यायालय में धारा-311 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र जो पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया गया में जिरह के दौरान अपने पक्ष में बयान कराये गये जिसका विरोध वादी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उस न्यायालय में किया गया तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी जिरह की अनुमति मांगी गयी, परन्तु वादी के धारा-311 दं०प्र०सं०

के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया और पीड़िता से उससे जिरह की अनुमति नहीं दी गयी। बाद में जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पत्रावली को इस न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया और इस न्यायालय में वादी द्वारा पुनः अन्तर्गत धारा-311 दं०प्र०सं० में जिरह की अनुमति मांगी गयी जिसे न्यायालय ने न्यायहित में स्वीकार कर वादी के विद्वान अधिवक्ता को पीड़िता से जिरह करने की अनुमति दी।

33- ऐसी दशा में इन कथनों का कोई महत्व नहीं है। पीड़िता के सम्पूर्ण साक्ष्य का सूक्ष्मता और गहनता से विश्लेषण के उपरान्त यह स्पष्ट है कि अभियुक्त विनोद द्वारा पीड़िता को जबरन शादी का लालच देकर बहला फुसलकर न केवल अपने साथ रखा गया है, बल्कि उसे बतौर पत्नी के रूप में रखा जा रहा है, जबकि पीड़िता की इसके पूर्व में किसी आकाश नाम के लड़के के साथ शादी हुई है और उससे कोई विवाह विच्छेद भी नहीं हुआ है जबकि विनोद भी शादी शुदा है और उसका पहली पत्नी से विवाह विच्छेद भी नहीं हुआ है, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में वह पीड़िता के साथ एक पत्नी के रहते हुए भी रह रहा है जिसे पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया है।

34- बचावपक्ष की ओर से अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, किन्तु अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत न करना भी अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

35- बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सीय आख्या से भी बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है क्योंकि पीड़िता की योनि के किनारों पर कोई शुक्राणु नहीं पाये गये और न ही वैजाइनल स्मीअर रिपोर्ट में कोई शुक्राणु पाये गये तथा न ही कोई चोट के निशान पाये गये, जबकि घटना कथानक के अनुसार पीड़िता के साथ अभियुक्तगण विनोद व ग्रीश ने घटना कारित की है इसलिए घटना कथानक अभियुक्तगण के विरुद्ध साबित नहीं होता है।

36- इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **बी.सी. देवा उर्फ द्यावा बनाम स्टेट आफ कर्नाटका (2007) 12 SCC 122** में यह अवधारित किया है कि—Absence of injury on the person of the victim of rape does not lead to an inference that the accused did not commit forcible sexual intercourse. It was further held that even in the absence of external injury, the oral testimony of the prosecutrix that she was subjected to rape, cannot be ignored.

37- इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की **विधि व्यवस्था स्टेट आफ हि० प्र० बनाम रघुवीर सिंह (1993) 2 CC 622** में यह

अवधारित किया गया है कि " योनि के किनारों पर शुक्राणुओं का न पाया जाना और पुरुष के लिंग पर किसी प्रकार की चोट का न पाया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होता है। इन परिस्थितियों पर मामले के सम्पूर्ण विशिष्ट तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। दोषसिद्धि हेतु अभियोजिका के साक्ष्य की सम्पुष्टि सम्बन्धी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अतएव युक्तियुक्त तथ्यों और अभियोजिका के विश्वसनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्यों से होती है, के आधार पर दोषसिद्ध उचित है।

38- इस प्रकार पीड़िता के यौनि पर कोई चोट का न होना यह निष्कर्ष नहीं देता है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध नहीं किया गया है। जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्तगण द्वारा ही पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बिना उसकी सहमति के ले जाया गया था और उसके साथ जबरन प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कर बलात्कार का अपराध कारित किया गया।

39- बचावपक्ष के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, इसलिए घटना साबित नहीं होती है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 03-09-2016 समय 21.00 बजे की बतायी गयी है। जबकि वादी द्वारा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14-09-2016 को समय 19.00 बजे दर्ज करायी गयी। जबकि उपरोक्त सम्प्रेक्षण से यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध अभियुक्तगण द्वारा ही कारित किया गया है, इसलिए मात्र विलम्ब के आधार पर न तो घटना होना अस्वीकार किया जा सकता है और न ही अभियुक्तगण को इसका लाभ दिया जा सकता है। भारतीय परिवेश में प्रायः इस प्रकार के अपराध के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में भय, बदनामी आदि के डर से एवं अन्य तमाम लोक लज्जा आदि के कारणों से पीड़ित पक्ष विलम्ब कारित कर देते हैं।

40- इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा स्टेट आफ यू०पी० बनाम मनोज कुमार पाण्डेय AIR 2009 SC 711 एवं विधि व्यवस्था सन्तोष मूल्या बनाम स्टेट आफ कर्नाटका (2010) 5 SCC 445 में यह अवधारित किया है कि बलात्कार के मामले में अभियोजन के ऊपर अधिरोपित विलम्ब को साबित करने का सामान्य नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यदि देखा जाये तो बलात्कार जैसे अपराध में इस प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। इस प्रकार बचावपक्ष का यह तर्क बलहीन है।

41- विधि व्यवस्था सच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य, राहुल मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए०आई०आर० 2015 एस०सी० 304 में माननीय

न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया कि न्यायालय के दोनों दायित्व हैं कि वह देखे कि किसी निर्दोष को सजा न हो, किन्तु उसे यह भी देखना चाहिए कि कोई तकनीकी आधार पर छूट न जाये। जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़े। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया कि अभियोजन से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह सभी सवाल जो काल्पनिक व बिना किसी आधार के हैं, उत्तर दे, तभी केस को साबित माना जाये। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध समुचित व विश्वसनीय श्रृंखलाबद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं तथा अभियोजन कथानक पूर्णतया साबित होता है।

42- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 4 SCC 262** में यह अवधारित किया गया है कि "अभियोजिता के साक्ष्य का सत्यापन विधि का नियम नहीं है, यह केवल विवेक का पथ प्रदर्शक है। जब बलात्कारी अपने अविवेकी अध्यवसाय में आनन्द मना रहे हो और आधा मानव समुदाय (औरत समुदाय) अपनी असहाय स्थिति के विरुद्ध विरोध प्रकट कर रही हो, जहाँ कोई भी इज्जतदार स्त्री दूसरे पर बलात्संग का आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि इस कृत्य द्वारा वह अपनी सबसे बहुमूल्य इज्जत/आबरू कुर्बान कर देती है, ऐसी स्थिति में न्यायालय आदि काल से प्रचलित सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करेगा, साक्ष्य के सत्यापन पर जोर नहीं देगा भले ही, सम्पूर्ण मामले को देखने से ऐसा प्रतीत होता हो कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा कही गयी बात से न्यायालय के मस्तिष्क में सम्भावना उत्पन्न होती है। 'न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा है कि "कोई भी समवेदनशील न्यायाधीश जो सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखता है, बलात्कार के शिकार द्वारा दिये गये साक्ष्य को अस्वीकार नहीं कर सकेगा जब तक कि साक्ष्य की सत्यता के विरुद्ध बहुत ठोस प्रमाण न हो।" प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के विपरीत कोई भी ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अभियोजन साक्ष्य की विश्वसनीयता को नकारा जाये। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने सकारात्मक साक्ष्य से घटना को साबित किया है। जब तक कि बचावपक्ष द्वारा इसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता कि किन परिस्थितियों में अभियुक्त के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रही है जबकि वह अवयस्क है। जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया।

43- उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में जबकि यह साबित हो चुका है कि अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र द्वारा ही पीड़िता का व्यपहरण अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय किया गया तथा अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र द्वारा पीड़िता को अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया, जिसका खण्डन अभियुक्तगण द्वारा किसी भी तरह से नहीं किया गया है, इसलिए तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य

पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

44- इस प्रकार अभियोजन साक्षियों द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र द्वारा अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय से पीड़िता का व्यपहरण किया गया तथा अन्यत्र स्थान पर ले जाकर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र धारा-366, 376D भा० दं० सं० के अधीन दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

45- उपरोक्त सम्प्रेक्षण से यह साबित हो चुका है कि कथित घटना के समय पीड़िता बालिग थी, इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-363 भा०दं०सं० व धारा-5/6 पोक्सो अधिनियम का अपराध नहीं बनता है, इसलिए अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र धारा-363 भा०दं०सं० व धारा-5/6 पोक्सो अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र को धारा- 366, 376D भा०दं०सं० आरोप के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा-363 भा०दं०सं० व धारा-5/6 पोक्सो अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 06-01-2024 को पेश हो। अभियुक्तगण नियत दिनांक को जिला कारागार से तलब हों।

अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से धारा-437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामं दाखिल किये जा चुके हैं, जो बाद म्याद अपील या छः माह तक की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक 04-01-2024

(अवधेश कुमार सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद।

दिनांक-06-01-2024

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उनका यह प्रथम अपराध है, वे गरीब एवं मजदूर व्यक्ति हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनके घर में उनके अलावा अन्य कोई कमाने वाला नहीं है और इन्हीं आधारों पर उन्हें कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजनपक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता का अपहरण करके उसके साथ सामाजिक दृष्टि से सामूहिक बलात्संग जैसा बहुत ही गम्भीर व घृणित अपराध कारित किया गया है और इसी आधार पर उन्हें अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय से व्यपहरण किया गया तथा पीड़िता को अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसके साथ अनैतिक सम्बन्ध कारित करते हुए सामूहिक बलात्संग जैसा घृणित कृत्य कारित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के विरुद्ध नरमी बरते जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता धारा 366 के अपराध के लिए पाँच-पाँच वर्ष के कारावास एवं 5000-5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

इसी प्रकार अभियुक्तगण उपरोक्त को भारतीय दण्ड संहिता धारा - 376D के अपराध के लिए बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000-50,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

आदेश

पी०एस०टी० संख्या-5721/2016, मुकदमा अपराध संख्या-665/2016 राज्य बनाम विनोद कुमार आदि, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के मामले में अभियुक्तगण विनोद कुमार व ग्रीश चन्द्र को धारा 366 भा०दं०सं० के अपराध के लिए **5-5(पाँच-पाँच) वर्ष** के कारावास एवं 5,000-5,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक **एक-एक माह** का

अतिरिक्त कारावास भोगेंगे।

इसी प्रकार अभियुक्तगण उपरोक्त को भारतीय दण्ड संहिता धारा 376D के अपराध के लिए 20-20(बीस-बीस) वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000-50,000/- (पचास-पचास हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे।

अभियुक्तगण की सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।

धारा-376 डी भा०दं०सं० में अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता को दी जाये तथा धारा-366 भा०दं०सं० में अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा होगी।

इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला कारागार को प्रेषित की जाये।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

अभियुक्तगण का सजायाबी अधिपत्र बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु सम्बन्धित जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

दिनांक 06-01-2024

(अवधेश कुमार सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 06-01-2024

(अवधेश कुमार सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद